बिहार सरकार
विधि विभाग

बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, 2020

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2020

बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, 2020

विषय सूची।

खंड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।

2. बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) की धारा–7 का प्रतिस्थापन। ।

बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, 2020

बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के एकहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–(1) यह अधिनियम "बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) अधिनियम, 2020" कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 11, 2010) की धारा–7 का प्रतिस्थापन।–उक्त अधिनियम, 2010 की धारा–7 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :–

"7. औद्योगिक भूमि का सम्परिवर्तन।–उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित उद्योगों से संबंधित कृषि भूमि का गैर–कृषि भूमि में सम्परिवर्तन, समय–समय पर, सक्षम प्राधिकार की पूर्व अनुमति से स्वीकृत किया जा सकता है।

परन्तु, अपेक्षित फीस, जो भी हो, का भुगतान उद्योग विभाग की प्रचलित नीति के अनुरूप किया जायेगा।"

उद्देश्य एवं हेतु

बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम, 11/2010) की धारा–7 के तहत यह प्रावधान है कि उद्योग विभाग द्वारा यथा अधिसूचित उद्योग से जुड़े मामले, मुददे और नीति में सम्परिवर्तन अनुमान्य होगा, परन्तु इसमें सम्परिवर्तन फीस देय नहीं होगा।

उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 में औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में छूट का प्रावधान है, जबकि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की कंडिका–6.2.2 में औद्योगिक इकाइयों के लिए इसकी प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक इकाइयों भूमि सम्परिवर्तन शुल्क का स्वयं भुगतान कर उत्पादन में आने के बाद उसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकती हैं। उद्योग विभाग के स्तर से नए सिरे से दिए गए मंतव्य के अनुसार उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की कंडिका–3.2.1 के अधीन उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र की इकाइयों को भूमि सम्परिवर्त्तन शुल्क में छूट देने का प्रावधान किया गया है।

इस प्रकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से निर्गत बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 की धारा–7 के प्रावधान तथा एतद् संबंधी उद्योग विभाग के स्तर से निर्गत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की कंडिका–6.2.2 के प्रावधान एवं उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की कंडिका–3.2.1 में परस्पर विरोधाभास की स्थिति परिलक्षित है।

ऐसी स्थिति में बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम, 11/2010) की धारा–7 के वर्त्तमान प्रावधान तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की कंडिका–6.2.2 के प्रावधान एवं उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की कंडिका–3.2.1 के प्रावधान के बीच उत्पन्न परस्पर विरोधाभास की स्थिति को समाप्त करने के दृष्टिकोण से उद्योग विभाग द्वारा दिया गया परामर्शानुसार बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम, 11/2010) की धारा–7 में संशोधन का प्रस्ताव निम्नवत् है :–

बिहार अधिनियम, 11, 2010 की धारा–7 का प्रतिस्थापन।–बिहार अधिनियम, 11/2010 की धारा–7 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी:–

"7. औद्योगिक भूमि का सम्परिवर्तन।–उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित उद्योगों से संबंधित कृषि भूमि का गैर–कृषि भूमि में सम्परिवर्तन, समय–समय पर, सक्षम प्राधिकार की पूर्व अनुमति से स्वीकृत किया जा सकता है।

परन्तु, अपेक्षित फीस, जो भी हो, का भुगतान उद्योग विभाग की प्रचलित नीति के अनुरूप किया जाएगा।"

अतः यह उचित प्रतीत होता है कि बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम, 11/2010) की धारा–7 का प्रतिस्थापन किया जाय। इस संशोधन विधेयक का यह मुख्य उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इस संशोधन विधेयक का अभिष्ट है।

(राम नारायण मंडल)
भारसाधक सदस्य।